

the year 1957-68, under section 36 of the Employees' State Insurance Act, 1943. [Placed in Library. See No LT-2937/70]

श्री शिव चन्द्र झा (मधुवनी) : मंत्री महोदय, आज 1967-68 साल की एम्प्लायोज स्टेट इश्योरेंस कारपोरेशन की आडिट रिपोर्टें रख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आज तीन साल की देरी कर के यह रिपोर्ट यहां पर क्यों रखी जा रही है ? मैं तो कहना चाहूंगा कि आप इस तरह के रूल्स बनायें कि इतनी देरी न हुआ करे।

DELHI MOTOR VEHICLES (SECOND AMENDMENT) RULES

SHRI IQBAL SINGH : I beg to lay on the Table a copy of the Delhi Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 1969 (Hindi and English Versions) published in Notification No. F. 3(34)/63-69-Tpt. in Delhi Gazette dated 19th February, 1970, under sub-section (3) of section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939. [Placed in Library. See LT-2938/70]

131½ hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

HUNDRED AND THIRD REPORT

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भेषज भंडार डिप्टी (स्वास्थ्य विभाग) से सम्बद्ध लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1969, के पैराग्राफ 114के बारे में लोक लेखा समिति का 103वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Railways Act, 1890.

MR. SPEAKER : Motion Moved :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Railways Act, 1890."

श्री शिवचन्द्र झा (मधुवनी) : अध्यक्ष महोदय, यह एक तरफा विधेयक है। इस में इस की गुंजाइश होनी चाहिए कि अगर गाड़ी लेट हो जाय, गाड़ी में पानी बत्ती का इन्तजाम न हो, खाना अच्छा न मिलता हो, स्टेशन पर उस का इन्तजाम ठीक न हो, स्टेशन के मेनटेनेन्स में कोई कमी हो तो इस के सम्बन्ध में कोई कांस्ट्रिक्शनल मशीनरी होनी चाहिये ताकि खबर मिलते ही वह उस पर कार्रवाई कर सकें। जो भी इस के इन्चार्ज हों उन के सम्बन्ध में भी शिकायतें मिलें तो रेलवे बोर्ड को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो जो हायेस्ट अथारिटी हो वह उस पर कार्रवाई करे, यह व्यवस्था होनी चाहिये। तभी यह विधेयक कम्प्लीट होता बना यह वन-साइडेड विधेयक है और इस तरह के एक-तरफा विधेयक को यहां पर नहीं लाना चाहिए।

MR. SPEAKER : I am sorry that such things are not allowed at the stage of introduction.

श्री मधु लिये (मुंगेर) : मंत्री महोदय को इस का जवाब देना चाहिये। नियमों में यह लिखा हुआ है। अगर कुछ डाउट है विधेयक के बारे में तो उन को जवाब देना चाहिये।

MR. SPEAKER : Only constitutional objections can be raised at this stage....

श्री मधु लियये: इस में लिखा हुआ है कि माननीय सदस्य जो मुद्दे उठाये उन का जवाब मंत्री महोदय को देना चाहिये ।

MR. SPEAKER : Only constitutional objections can be raised at this stage. But the hon. Member has gone into points which can be raised in the course of the first reading and the second reading. At the time of introduction, I can only allow objections on constitutional grounds to be raised. I am not allowing the hon. Member to raise other points. That would mean setting a bad precedent. I do not mind, if the hon. Minister is prepared to answer.....

श्री शिवचंद्र झा: मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

MR. SPEAKER : I have replied to the hon. Member a number of times.

श्री शिवचंद्र झा: मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । आप के घाने के पहले जब भी विधेयक आते थे तब उन का विरोध हम लोग करते थे ।

अध्यक्ष महोदय: बड़ी खुशी से कीजिये । बिल आने वाला है ।

श्री शिवचंद्र झा : हर विधेयक का विरोध हम लोग करते थे । उस में कांस्टिट्यूशनल ऐस्पेक्ट रक्खे जाते थे लेकिन साथ साथ में कुछ मेरिट्स की बातें भी आ जाया करती थीं । इस लिए अगर आप इस तरह का नियम बना देंगे तो हम लोगों को विरोध करने का मौका नहीं मिलेगा । इस की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती ।

अध्यक्ष महोदय: आप की ज़िदबाजी ने उस दिन भी बिल के बारे में मुझ से गलती करवा दी । आप के आने से पहले साल में एक भाष दफे ऐसा होता होगा कि कोई लीव पर बोलता हो, नहीं तो लीव पर कोई नहीं बोलता था । अब तो हमेशा ही लोग लीव का विरोध करते हैं ।

श्री शिवचंद्र झा: आप के घाने से पहले भी ऐसा होता रहा है ।

अध्यक्ष महोदय: आप मेरे बाद आये हैं । लीव पर जब भी कोई बोलना चाहता है तो इस में कांस्टिट्यूशनल प्रावज़ेशन आते हैं । जब विधेयक आयेगा तब आप दो घंटे तक बोलते रहियेगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा । लेकिन इस वक्त इस तरह की बहस नहीं हो सकती ।

The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Railways Act, 1890".

The motion was adopted.

SHRI NANDA : I introduce* the Bill.

SHRI MANUBHAI PATEL (Dabhol) You said a short while ago that when you are on your legs, no observation from the floor will go on record. When I was speaking, you were not on your legs. So what I said will be on record.

MR. SPEAKER : Let him not exhaust my patience.

*Introduced with the recommendation of the President.